उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / / XVIII(1)/2011-4/2007
देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली, 2011

भाग–1
सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से सम्बन्धित जिले का 'कलेक्टर' अभिप्रेत है;

(ख) **"राज्य"** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ग) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ड़) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड राज्य रजिस्ट्रार कानूनगो सेवा अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"संवर्ग"** से किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा का भाग अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ट) **"संचालक"** से उत्तराखण्ड राज्य में भू-लेख संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा "संचालक" पदनाम से या अन्य पदनाम से समय समय पर नियुक्त अथवा नामित अथवा अधिकृत अधिकारी अथवा गठित निकाय अथवा प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

टिप्पणी-सम्प्रति मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में भूलेख संचालक की शक्तियों का उपयोग करने एवं तद्विषयक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है।

भाग-2
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या उतनी होगी, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) सेवा के सदस्यों की संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या राज्य के प्रत्येक जनपद के लिए अवधारित स्थायी और अस्थायी पदों की संख्या जब तक नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतने ही होगी, जितनी **परिशिष्ट-क** में दी गयी है।

परन्तु यह कि-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नही होंगे;

(ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझे।

टिप्पणी- शासनादेश संख्या-722/18(1)/2006 दिनांक 18.10.2006 द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो व रजिस्ट्रार कानूनगो के पद एकीकृत कर दिये गये हैं।

भाग-3
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. राज्य के प्रत्येक जनपद में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर भर्ती उसी जनपद के स्थायी लेखपाल अथवा स्थायी पटवारी से पदोन्नति के माध्यम से इस नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4
अर्हता

अर्हता 7. रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए वही लेखपाल या पटवारी पात्र होगा जो लेखपाल या पटवारी के पद पर निर्विवाद रूप से स्थाई हो और जिसने चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को लेखपाल या पटवारी पद पर 10 वर्ष की व्यवधान रहित सेवा पूरी कर ली हो।

भाग–5
भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 8. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 9. (1) राज्य के प्रत्येक जनपद में नियुक्ति प्राधिकारी मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखपाल एवं पटवारी में से नियम 7 के अधीन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा :–

(क) सम्बन्धित जनपद का जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिमान्यतः अपर जिलाधिकारी स्तर के अथवा जिले का वरिष्ठतम उप जिलाधिकारी –अध्यक्ष;

(ख) जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी –सदस्य;

(ग) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी –सदस्य;

(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व विभाग का भूलेख अधिकारी अथवा राजस्व विधियों और अभिलेखों से भिन्न समकक्षीय एक अधिकारी –सदस्य।

टिप्पणी:–कलेक्टर/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति में जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को अथवा उप जिलाधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष पद पर नामित किये जाने की दशा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा के ऐसे अधिकारी को नामित किये जायेगा, जो अपर जिलाधिका स्तर के अथवा नामित उप जिलाधिकारी के सेवा समूह से उच्चस्त सेवा समूह के न हों।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होंगें।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

भाग–6
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति 10. नियुक्ति प्राधिकारी अनुमोदित चयन सूची के आधार पर नियम–9 के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर करेगा।

परिवीक्षा 11. (1) नियम–10 के अधीन पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो को एक वर्ष के लिए परिवीक्षण काल पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

RK servs

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवेक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर अस्थायी रूप में प्रदान की गयी है।

(6) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि उसने–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ;
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है ; तथा
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

स्थायीकरण 12. नियुक्ति प्राधिकारी, नियम–10 सपठित नियम 11 के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो को परिवीक्षा की अवधि अथवा बढ़ायी गयी अथवा विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर उसके परिवीक्षण कालीन कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा, व्यवहार, ख्याति, जनसम्पर्क, पद के कार्य में रूचि और धारित पद पर उसकी सार्थकता आदि पर सम्यक विचारोपरान्त समाधान होने पर स्थायी कर देगा।

ज्येष्ठता 13. नियम–10 के अनुसार नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम सूची उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्रावधानों के आलोक में विचार कर अवधारित की जायेगी।

भाग–7
वेतनमान

वेतनमान

14. (1) रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति का वेतनक्रम और भत्ते वही होंगे, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायं।

(2) इस सेवा नियमावली के प्रारम्भ के समय रजिस्ट्रार कानूनगो पद का वेतनमान **परिशिष्ट 'क'** में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

15. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुए भी, परिवीक्षा व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर लिया हो और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक के नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तुत यह कि यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा निवियमित होगा।

भाग–8
अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

16. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति के अतिरिक्त किसी अन्य संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त

करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

17. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

व्यावृर्ति

18. इस नियमावली के किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1505/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 400 सौ प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल (ए)।

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

RK serv rules

परिशिष्ट 'क'

(कृपया नियम 4 का उपनियम (2) देखिए)

रजिस्ट्रार कानूनगो

क्र.सं.	मण्डल	जनपद का नाम	अवधारित पदों की संख्या	वेतनमान (₹ में)
1.		उत्तरकाशी	07	5200–20200, ग्रेड पे 2800/–
2.		पौड़ी गढ़वाल	14	–
3.		चमोली	10	–
4.	गढ़वाल मण्डल	टिहरी गढ़वाल	10	–
5.		देहरादून	09	–
6.		रूद्रप्रयाग	03	–
7.		हरिद्वार	09	–
8.		अल्मोड़ा	13	–
9.		ऊधमसिंह नगर	12	–
10.	कुमाऊँ मण्डल	चमपावत	07	–
11.		नैनीताल	10	–
12.		पिथौरागढ़	13	–
13.		बागेश्वर	07	–
	योग		124	